

फैक्स
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

देव नारायण मंडल
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा

पटना, दिनांक-.....मार्च, 2017

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम माँग सं0-22-उपशीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत (विपत्र कोड-N2235602000011) विषय शीर्ष-31 02 के अंतर्गत दिनांक-31.01.2014 को सुपौल-सिहेश्वर स्थान सड़क-मार्ग पर गम्हरिया थाना के पास पुलिस वाहन नं0-बी0आर0-19ए-7409 तथा बोलेरो पीकअप भान सं0-बी0आर0-34 जी-3079 से मोटर साइकिल सवार विजय कुमार मेहता, पिता-श्री चन्देश्वरी मेहता, ग्राम-अंदौली, पो0-समदा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित परिवार को ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान भुगतान के संबंध में आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-2476 दिनांक-27/3/17 द्वारा मृतक स्व0 विजय कुमार मेहता, पिता-श्री चन्देश्वरी मेहता, ग्राम-अंदौली, पो0-समदा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित परिवार को ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति दी गयी है।

2. इस आवंटन के आलोक में आपको वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवंटन की स्थिति निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को कुल आवंटित राशि
₹ शून्य	₹4,00,000/- (चार लाख रुपये)	₹4,00,000/- (चार लाख रुपये)

3. उपरोक्त आवंटित राशि ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम माँग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत (विपत्र कोड N2235602000011) विषय शीर्ष-31 02 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा यथा विषयांकित मृतक के आश्रित परिवार को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान मृतक के आश्रित परिवार को समुचित पहचान कर की गयी है।

5. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे।

6. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायगी।

P.T.O

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मृतक के आश्रित परिवार को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मात्र उक्त मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक-.....मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-.....मार्च, 2017

ज्ञापांक:-जी/विविध-20-20/2014.....

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी,

मधेपुरा/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो मूल प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-.....मार्च, 2017

ज्ञापांक:-जी/विविध-20-20/2014.....

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संघारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-.....मार्च, 2017

ज्ञापांक:-जी/विविध-20-20/2014-.....२५७७

प्रतिलिपि:- आ0ई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

फैक्स
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-27 मार्च, 2017

विषय :- दिनांक-31.01.2014 को सुपौल-सिहेश्वर स्थान सड़क-मार्ग पर गम्हरिया थाना के पास पुलिस वाहन नं०-बी०आर०-19ए-7409 तथा बोलेरो पीकअप भान सं०-बी०आर०-34 जी-3079 से मोटर साइकिल सवार विजय कुमार मेहता, पिता-श्री चन्देश्वरी मेहता, ग्राम-अंदौली, पो०-समदा, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित परिवार को ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

1. उक्त राशि ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) की निकासी मृतक के आश्रित परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान हेतु करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. उक्त राशि ₹4,00,000/- (चार लाख रुपये) की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघु- शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम माँग संख्या-22, उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड N2235602000011 विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से होगी।


3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे एवं इसकी निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. जिला पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक-301 दिनांक-25.02.2014 एवं पत्रांक-1674 दिनांक-20.10.2016 की अनुसंशा के आलोक में राशि की स्वीकृति दी जा रही है।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(देव नारायण मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव
पटना, दिनांक-27 मार्च, 2017

ज्ञापांक:-जी/विविध-20-20/2014-2476

फैक्स
स्पीड पोस्ट


प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को उनके पत्रांक-301 दिनांक-25.02.2014 एवं 1674 दिनांक-20.10.2016 के प्रसंग में/पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को उनके पत्रांक-2846 दिनांक-01.10.2016 के प्रसंग में/जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो मूल प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-27 मार्च, 2017

ज्ञापांक:-जी/विविध-20-20/2014-2476

प्रतिलिपि- विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए', गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।


सरकार के संयुक्त सचिव